सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–08.07.2026 को संध्या 04.30 बजे VC के माध्यम से अपर समाहर्त्ताओं की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी में संधारित।

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–08.07.2026 को राज्यस्तरीय अपर समाहर्त्ताओं की बैठक का आयोजन VC के माध्यम से किया गया। जिसमें विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं का स्वागत किया गया।

बैठक में अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी एवं पूर्वी चम्पारण जिला के अपर समाहर्त्ता अनुपस्थित थे।

1. विभागीय अधिसूचना के आलोक में स्थानांतरित अंचल अधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को विरमित किया जाना।

बैठक के प्रारंभ में हाल ही स्थानांतरित अंचल अधिकारियों के विरमित और योगदान की समीक्षा करते हुए निदेश दिया गया की सभी अपर समाहर्त्ता अपने–अपने जिलों से स्थानांतरित अंचलाधिकारियों/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों को जिन्हें अभी तक विरमित नहीं किया गया है, उन्हें अविलम्ब विरमित कर दें। विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक–09.07.2026 से स्वतः विरमित समझे जायेगें एवं उनका माह जुलाई, 2026 का वेतन उनके नवपदस्थापन कार्यालय से मिलेंगा।

2. अभियान बसेरा :– आगामी 15 अगस्त 2026 को विशेष अभियान के तहत लगभग 30,000 वास–विहीन परिवारों को अभियान बसेरा के तहत पर्चा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिलवार अलग–अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सभी अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि इसकी तैयारी समय से पूर्व निश्चित रूप से कर ली जाय। सभी अंचलों का अलग–अलग लक्ष्य निर्धारित कर पर्चा वितरित किये जानेवाले पात्र लाभर्थियों की सूची हल्कावार पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाय।

3. राजस्व महाअभियान :– बैठक में राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त लंबित आवेदनों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा एवं पटना जिलें में निष्पादित मामलों का प्रतिशत काफी कम है। सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ताओं को तेजी से लंबित आवेदनों को निष्पादित करवाने हेतु सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित करने का निदेश दिया गया।

3. राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) :– RCMS पोर्टल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई निकट भविष्य में की जानी है। इसकी प्रगति की समीक्षा करते हुए निदेश दिया गया है कि सभी जिलों में तकनीकी संसाधन, आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण की व्यवस्था शीघ्र पूर्ण की जाय।

4. अन्यान्य :– राज्य में लगभग 3600 पंचायत सरकार भवन है, जिसमें राजस्व कर्मचारी की सुविधा हेतु आलमारी, टेबुल, कुर्सी, प्रिन्टर इत्यादि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में अपर समाहर्त्ताओं से परामर्श मांगा गया। इस हेतु जिलास्तर पर आलमारी, टेबुल, कुर्सी, प्रिन्टर इत्यादि का क्रय हेतु जो दर निर्धारित है उसकी सूची विभाग में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। ताकि क्रय किये जानेवाले सामग्रियों का आवंटन जिलों में भेजी जा सकें। इस हेतु कार्य योजना बनाकर आवंटन प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर सामग्रियों का क्रय कर लिया जाना है। साथ ही राजस्व कर्मचारियों का एस0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का मामला जो अभी लंबित है उसे शीघ्र निष्पादित किये जाने का निदेश सभी अपर समाहर्त्ताओं को दिया गया ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

21/7/26
(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

E-mail

ज्ञापांक– 10/सम0/(अंचलाधिकारी बैठक)–41/2025...882 (10)/रा0, दिनांक–21/7/26
प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.7.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ई-मेल

ज्ञापांक– 10/सम0/(अंचलाधिकारी बैठक)–41/2025.....882 (10)/रा0, दिनांक–.....21/7/26
प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.7.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।

ज्ञापांक– 10/सम0/(अंचलाधिकारी बैठक)–41/2025.....882 (10)/रा0, दिनांक–.....21/7/26
प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव (विभागाध्यक्ष) के प्रधान आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.7.26
(देवेश कुमार)
उप सचिव।